



2026:AHC:10643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 369 वर्ष 2026

दिनेश कुमार पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: धर्मेन्द्र कुमार, नमित श्रीवास्तव, पारुल श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति विक्रय कर विभाग में हुई थी और उनका तबादला इलाहाबाद/प्रयागराज ज़िले में कर दिया गया था; हालाँकि, दिनांक 03.01.2026 के आदेश के तहत, रिट याचिकाकर्ता का तबादला अंबेडकर नगर कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 01.12.1966 है और उन्हें 30.11.2026 को सेवानिवृत्त होना है; उनके अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति में अब केवल दस महीने ही शेष हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता अपनी शिकायत आयुक्त, विक्रय कर (राजपत्रित प्रतिष्ठान अनुभाग), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।



4. पक्षकारों के तर्कों को सुनने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता 30.11.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क करे। इसके लिए वह एक विस्तृत प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ लेकर जाए। प्रत्यर्थी संख्या 2 इस आवेदन पर विचार करते हुए 28.02.2026 तक आदेश पारित करेगा।

5. 28.02.2026 तक या आदेश पारित होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रिट याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि उसे पहले से ही कार्यमुक्त न कर दिया गया हो।

6. इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा केवल तभी लागू होगी, जब रिट याचिकाकर्ता आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करे।

जनवरी 16, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)